राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1102, 1103, 1104, 1105 / 2017...जिला..................जयपुर..................

M/s Mr. Beans, C-Scheme, Jaipur बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27 / 09 / 2017		

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आर.सी.शाह एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

ये चारों स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शास्ति को अपास्त करते हुए कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के धारा 83 के तहत् कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

इस आदेश से स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है, अपीलों का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर पृथक से पारित किया जायेगा। चारों स्थगन प्रार्थना पत्रों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	कर राशि	ब्याज राशि
1	2	3	4
1102 / 17	10–11	53,960 / –	35,614 / –
1103 / 17	11–12	76,378 / –	41,244 / –
1104 / 17	12–13	2,13,120 / –	1,79,021 / –
1105 / 17	13–14	2,96,639 / –	88,992 / –

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2017 से कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 01.03.2016 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा प्रकरण में कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिये। इस प्रकार अपीलीय

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1102, 1103, 1104, 1105/2017...जिला..................जयपुर...................

M/s Mr. Beans, C-Scheme, Jaipur बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2017	::2:: अधिकारी के इस आदेश से अपीलार्थी के विरूद्ध कोई मांग शेष नहीं रह जाती है। अतः ये चारों स्थगन प्रार्थना सारहीन (Infructuous) होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। प्रकरण सुनवायी हेतु **दिनांक 27.12.2017 को खण्डपीठ कैम्प जयपुर** के समक्ष पेश हो । निर्णय सुनाया गया। (मदनलाल मालवीय) सदस्य (के.एल.जैन) सदस्य	